LOK SABHA

Thursday, August 5, 1971/Sravana 14, 1893 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए सर्वेक्षण और उसके लिए जापान से सहायता

*1591. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए भू-परीक्षण किए गये हैं ;

(ख) उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या जापान ने इस सम्बन्ध में कुछ सहायता देने का आश्वासन दिया था ?

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

विवरण

भूमि सुधार कार्य शुरू करने के लिए गवेषणात्मक सर्वेक्षण तथा विस्तृत भूमि सर्वेक्षण करना मुख्य आवश्यकता है । भूमि सुधार का कार्य करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ।

फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि देश में कृषि योग्य परती भूमि के स्वरूप और क्षेत्र का पता लगाने के उद्देश्य से एक परती भूमि सुधार सर्वेक्षण समिति भारत सरकार द्वारा वर्ष 1959 में नियुक्त की गई थी । उसने 100 हैक्टार से अधिक के खण्डों में 635.96 हजार हैक्टार भूमि का पता लगाया । तीसरी योजना के दौरान, 100 हैक्टार से कम के खण्डों में कृषि योग्य परती भूमि के सर्वेक्षण तथा वर्गीकरण के लिए एक योजना शुरू की गई और ऐसी 2296 हजार हैक्टार भूमि का पता लगाया । पता लगाई गई समस्त परती भूमियों को सुधारने हेतु, राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, कृषि योग्य परती भूमि को सुधारने और भूमिहीन कृषि श्रमिकों के पुनर्वास के लिए तीसरी योजना में एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरू की गई और तीनों वार्षिक योजनाओं में भी इसे चालू रखा गया । यह योजना 1-4-1969 से राजकीय क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दी गई है ।

उपरोक्त केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने भी अपनी सामान्य विकासात्मक योजनाओं के अन्तर्गत अपने अधिकार क्षेत्र की कृषि योग्य परती भूमि के सुधार के लिए कार्यक्रम शुरू किए । अब तक (वर्ष 1968-69 तक) सुधारा गया क्षेत्र लगभग 42 लाख हैक्टार है । चतुर्थ योजनावधि में भूमि सुधार उपायों के अन्तर्गत 10 लाख हैक्टार भूमि के सुधार किये जाने का विचार है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा बम्बई का रास्ता और मुझे बताया गया है झांसी का रास्ता । जो मैंने पूछा था

उसका जवाब नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि सर्वेक्षण के तौर पर कहां सर्वेक्षण किया गया है, परीक्षण किया गया है लेकिन इस उत्तर में ऊटपटांग बता दिया गया है। आपने तीन योजनाओं के अन्दर जो-जो सर्वेक्षण किए, वे कौन-कौन से प्रान्तों में किये? राजस्थान में 175 मील बीहड़ जमीन है जो चम्बल के किनारे है, क्या उनके लिए आप के पास कोई योजना है, यदि है तो वह क्या है?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया: जहां-जहां पर बंजर भूमि पड़ी है, वहां पर किया गया है। चम्बल की बीहड़ भूमि के लिए भी अलग से एक स्कीम है। सरकार का ध्यान इस तरफ गया है और इसके लिए अलग से योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में जहां-जहां बीहड़ जंगल है, उनके लिए योजना बनाई गई है...

श्री ओंकार लाल बेरवा: अब तक कितना काम हुआ है?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया: चम्बल की 6.0 एकड़ भूमि अब तक रिक्लेम की गई है।

श्री ओंकार लाल बेरवा: यह राज्यों का विषय होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार ने इस काम को अपने हाथ में लेकर बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जैसा एम० पीज० ने सुझाव दिया था कि उनके पास ट्रैक्टर नहीं हैं, बुलडोजर्स नहीं हैं इसलिये वे भूमि को सुधारने में असमर्थ हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना को लागू करने के लिये आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया: जैसा माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि यह राज्य सरकारों का विषय है, फिर भी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारो की सहायता करती रहती है...

श्री ओंकार लाल बेरवा: केन्द्र सरकार ने इस को अपने हाथ में लेकर ट्रेक्टराइजेशन के लिये क्या किया?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): There is a centrally sponsored scheme during the fourth plan with an outlay of Rs. 2 crores and about 8000 hectares are proposed to be reclaimed. Of course, without tractors these lands cannot be reclaimed. But the magnitude of the problem is so big that really it is the lack of resources that is coming in the way of both the Central and State Governments. Despite that, this centrally sponsored scheme has been taken up.

श्री रामसहाय पांडे: चम्बल रेवाइन्ज को रिक्लेम करने की योजना बहुत पहले बनाई गई थी, इसमें तीन प्रदेश शामिल हैं—उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का इस में बड़ा हिस्सा पड़ता है। बर्ल्ड बैंक से भी इस के लिये अनुरोध किया गया था, कुछ पैसा वहां से लेने के लिए एक रिप्रेजेन्टेशन भेजा गया था, और शायद वह स्वीकृत भी हुआ था। इस का बुलडोजिंग कराने के लिए, रिक्लेम कराने के लिये एक बड़ी योजना बनी थी, मैं जानना चाहता हूं कि वह कहां तक पूरी हुई है? अध्यक्ष महोदय, खेती के लिये वह बहुत अच्छी जमीन है, अगर उसको रिक्लेम करके काम में लाया जाये तो सारा डेफिसिट पूरा हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि उस काम्प्रीहेन्सिव योजना का आपने क्या किया, कहां तक वह आगे बढ़ी है?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I have already mentioned about the centrally sponsored scheme. But the nature of the problem is, there are deep ravines and shallow ravines. Shallow ravines can be reclaimed with limited expenditure. But for deep ravines, afforestation and someother programmes have to be taken up and we are constantly reviewing the position. About the World Bank loan, it has not been finalised.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: In India, we have got about 88 crores of acres

of land, but actually we are cultivating only 32 crores of acres. There is still a large area to be reclaimed. When is the Government going to reclaim all the lands, so that they may be distributed to the landless people ?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE : The lands which have already been reclaimed and distributed have been mentioned in the statement. But, as more and more lands become available, they are reclaimed and distributed to the landless and other people eligible for allotment.

श्री हुकम चन्द कछवाय : इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि 42 लाख एकड़ भूमि हम ने सुधारी है, मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन से प्रान्तों में सुधारी गई है ? क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि मोरेना के चम्बल बीहड़ों के साथ तीन प्रान्त लगते हैं और वहां पर जमीन को बराबर करने करने के लिए काश्तकारों को जो बुलडोजर मिलते हैं, वे उन्हें बहुत मंहगे पड़ते हैं, 50 रु० घन्टे के हिसाब से मिलते हैं। इन बुलडोजरों को ग्वालियर में रखा जाता है, जहां से पहुँचने में दो घन्टे लगते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन स्थानों को जल्द से जल्द समतल बनाने के लिए क्या सरकार कोई राष्ट्रीय योजना बनाकर लागू करना चाहती है ? ऐसा माना गया है कि कुछ प्रदेशों में कुछ जिले ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं, मोरैना और भिण्ड भी ऐसे ही जिलों में आते हैं, इसलिए इनको पिछड़ा जिला समझ कर क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनायेगी जिससे इन का जल्द से जल्द विकास हो सके ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : सभी राज्यों में भूमि सुधार का काम चल रहा है और जहां तक चम्बल रेवाइन्ज के सुधार का सवाल है, माननीय मन्त्री जी ने बतलाया है कि चौथी पंच वर्षीय योजना में 8 हजार एकड़ भूमि सुधारी जायेगी और 600 एकड़ भूमि सुधारी जा चुकी है। जहां तक मजदूरों का सवाल है भारत सरकार ने यह मन्जूर किया है कि मजदूरों को वहां पर बसाया जायेगा, उनको 750 रु० प्रति हैक्टेअर के हिसाब से सुधार के लिये और 750 रु० उनके बसाने के लिये सरकार देगी। जहां तक इस का सवाल है कि ज्यादा से ज्यादा बुलडोज़र्स ला कर सुधारा जाये, यह एक अच्छा सुझाव है, सरकार इस पर विचार करेगी।

SHRIMATI JYOTSNA CHANDA : May I know whether Government propose to make a survey for conversion of barren lands lying on both sides of the railway track and make them cultivable ?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE : Sir, I am at your disposal. But this is not within the purview of this question.

SHRI PRAVINSINH SOLANKI : There is fertile land available in Kutch, but water resources are not available. A survey has shown that if water is provided this land can be cultivated. Since this is very much connected with water resources and irrigation facilities, would the government immediately decide to take up the Narmada project so that those water resources would be available to cultivate that land ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : सिंचाई के साधनों का सवाल भूमि सुधार के बाद पैदा होता है, इसलिये भूमि सुधार के बाद सिंचाई के साधनों को किया जाएगा।

श्री एन० एस० खांडे : इस बात को देखते हुए कि माननीय मन्त्री जी ने जो कमेटी बनाई है रिक्लेमेशन कमेटी—क्या उसने कुछ रिकमेन्डेशन्ज दी हैं, कोई ऐसा फेज्ड प्रोग्राम आपके सामने रखा है कि जिस फेज्ड-प्रोग्राम के मुताबिक आप सारी योजना समायानुसार पूरा करना चाहते हैं।

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE : This Committee was constituted in order to identify the areas which are cultivable wastes which are of 100 hectares and above. The Committee has identified those areas and its work is over. Now it is for the State Governments to take up the schemes.

As has been mentioned, quite a lot of acreage has been reclaimed as a result of the recommendations of that committee.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Have they got any national reclamation programme and, if not, the reasons therefor ?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE : The hon. Member being very knowledgable, he should know that after the decision of the National Development Council, agriculture being a State subject, these schemes are now within the purview of the State Government.

श्री एस० पी० वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि लैंड रिक्लेमेशन योजना के अन्तर्गत बिहार में भी कोई योजना ली गयी है या नहीं ? यदि ली गयी है, तो उस स्थान का नाम क्या है, और कितनी भूमि का सुधार हुआ है ? तथा क्या बिहार सरकार ने बिहार में 40 लाख एकड़ बंजर भूमि की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि नहीं ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इस के लिए नोटिस चाहिये ।

श्री एस० पी० वर्मा : इस में नाम मांगा गया है, वह तो मन्त्री जी को बताना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो कह रहे हैं कि इस के लिए नोटिस चाहिए ।

Entrusting of further Work to National Commission on Agriculture

*1592. SHRI N. K. SINHA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1294 on the 3rd June, 1971 and state :

(a) whether any further work is going to be entrusted to the National Commission on Agriculture ; and

(b) if so, the main features thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) and (b). Since the National Commission on Agriculture has been set up to enquire into the progress, problems and potential of Indian agriculture, it would always be upto the Government to consider referring to the Commission for enquiry and report any further aspect having a bearing on agriculture in India.

SHRI N. K. SINHA : Sir, this Commission was constituted last year. During the last 11 months it has held six meetings. During the two years of its life all that it has been able to do is to hold six meetings. At the end of the sixth meeting they have decided to submit an interim report on house-sites of landless labourers and the programme of wage-level. That is the progress of this Commission during the last 11 months. May I know the basis for this incorrigible optimism and unshakable faith of the Government in the Commission.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE : It would not be appropriate to cast any aspersion on the working of the Commission. The Commission has set-up a number of groups for studying special problems, namely, dairying, fisheries etc. but Agriculture is such a vast subject that various problems are beirg studied and voluminous documents are being prepared. The Commission is very much seized of this problem. A Commission of this nature is expected to make recommendations of a fundemental nature which would help us give new directions to Indian agriculture. I think very good persons are at the helm of the Commission.

SHRI N. K. SINHA : In view of what the hon. Minister has said, may I know why the Commission is not being put up on a permanent basis so that it may be able to do all that is listed for it ? Secondly, if the Commission is really as good as the hon. Minister makes it out to be ; why not also entrust the work of coordination of research extension and agriculture education to this Commission ?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE : First of all the Government does not think it desirable to make it a permanent body because specific issues for finding have been entrusted to the Commission and the Commission is expected to submit its report